Toppersnotes
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION (RPSC)

पेपर – 3 || भाग – I

भारत एवं राजस्थान की राजनीति

SIERRA INNOVATIONS

RAS

भारतीय राजनीति

विषय-सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2.	संविधान सभा	12
3.	भारतीय संविधान के स्त्रोत	17
4.	प्रस्तावना	19
5.	देश का एकीकरण	23
6.	अनुसूचियाँ	26
7.	भारतीय संविधान के भाग	29
8.	राज्य के तत्व	30
9.	साम्यवाद	35
10.	संघ एवं इसका क्षेत्र	36
11.	मूल अधिकार	38
12.	राज्य के नीति निदेशक तत्व	59
13.	मूल कर्त्तव्य	67
14.	संघ सरकार	70
15.	राष्ट्रपति	71
16.	उपराष्ट्रपति	81
17.	प्रधानमंत्री	83
18.	महान्यायवादी	85
19.	मंत्रीपरिषद्	86
20.	संसदीय शासन प्रणाली	90
21.	संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था	94
22.	संविधान संशोधन	96
23.	विधायिका	106
24.	उच्चतम न्यायालय	134
25.	उच्च न्यायालय	140
26.	राज्य विधानमण्डल	145
27.	महाधिवक्ता	148

28.	आपातकालीन उपबंध	149
29.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	153
30.	केन्द्र राज्य संबंध	155
31.	केन्द्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध	158
32.	पुंछी आयोग	161
33.	वरीयता क्रम	163
34.	राजभाषा	164
35.	राज्य की कार्यपालिका	167
36.	राज्य की राजनीति	175
37.	राज्य सचिवालय	184
38.	संभाग	190
39.	जिला प्रशासन	191
40.	उपखण्ड अधिकारी	194
41.	तहसीलदार	196
42.	पटवारी	199
43.	निर्वाचन आयोग	200
44.	RPSC	203
45.	UPSC	204
46.	वित्त आयोग	207
47.	NDP	207
48.	अंतर्राज्यीय परिषद्	209
49.	राज्य सूचना आयोग	210
50.	स्थानीय स्वशासन	212
51.	नगरीय संस्थाएँ	218
52.	महानगरीय योजना समिति	223
53.	राज्य वित्त आयोग	226
54.	नीति आयोग	227
55.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	230
56.	राज्य मानवाधिकार आयोग	232
57.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC)	233
58.	लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम–2013	235
59.	राष्ट्रीय अखण्डता	239

60. पूर्वोत्तर में अलगाववाद 242
61. आतंकवाद 245
62. मीडिया 247
63. संगठित अपराध 249
64. भारतीय राजनीति में जाति 250
65. राजनीतिक दल व मतदान व्यवहार 256
66. लैंगिक भेदभाव 259
67. नृजातीयता से संबंधित मुद्दे 265
68. राष्ट्रीय एकीकरण 268

भारत एवं राजस्थान की राजनीति

भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत मे ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप मे व्यापार करने के लिए आये थे इन्हें भारत मे व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था ।

बक्सर के युद्ध (22 अक्टूबर 1764) के बाद प्रथम बार 1765 मे कम्पनी को बंगाल, बिहार व उडीसा की दीवानी प्राप्त हुई ।

दीवानी :- दीवानी से तात्पर्य है राजस्व संग्रहण व नागरिक न्याय की शक्ति ।

1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट

- इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया । उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद् बनाई गई । इसके प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे ।
- बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नरो को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया जो कि पहले स्वतंत्र थे ।
- इसके माध्यम से 1774 ई. मे कलकत्ता मे एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमे एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे ।
- इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगो से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया ।
- कम्पनी सर्वोच्च सत्ता (गवर्निंग बोडी) court of directors को राजस्व नागरिक व सैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा गया ।

उक्त एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कम्पनी के राजनैतिक व प्रशासनिक महत्व को समझा तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुऐ भारत मे केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी ।

1784 ई. का पिट्स इण्डिया एक्ट

- इसमे कम्पनी के वाणिज्यिक एवं राजनैतिक कार्यो को पृथक कर दिया गया ।
- इसमे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर (निदेशक मण्डल) को वाणिज्यिक कार्यो की छूट दी किन्तु राजनैतिक कार्यो के लिए Board of Control बनाया ।
- भारत मे स्थित सभी ब्रिटिश क्षेत्र तथा परिसम्पत्ति के सैन्य एवं नागरिक कार्यो पर निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल (नियंत्रक मण्डल) को दी ।
- इस एक्ट के तहत प्रथम बार द्वैध शासन लागू किया । Board of control व court of directors का गठन किया गया ।

1833 ई. का चार्टर एक्ट

- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया ।
  - सारी नागरिक व सैन्य शक्ति उसमे निहित की गई ।
  - भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंक थे ।
- बम्बई व मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई और सारी शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल में निहित कर दी थी ।
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी का स्वरूप बदला तथा यह व्यापारिक कम्पनी नही रही बल्कि प्रशासनिक संस्था बनाई गई जो ब्रिटेन के राजमुकुट की ओर से कार्य करेगी ।
- प्रथम बार खुली प्रतियोगिता को भर्तियो मे आधार बनाने का असफल प्रयास किया गया तथा भारतीयों को भी कम्पनी के पदो के लिए उपयुक्त माना गया ।

इस एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत की सरकार की संकल्पना की गई तथा यह केन्द्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम रहा ।

1853 ई. का चार्टर एक्ट

- इसमे प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद् के विधायी और कार्यपालिका कार्यो को अलग किया तथा 6 नये सदस्य जोडे गये जिन्हे विधायी पार्षद कहा गया । अर्थात् गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद् बनाई गई जिसे भारतीय विधान परिषद् कहा गया । यह एक छोटी ब्रिटिश संसद की तरह थी जिसमे वही प्रक्रियाये अपनाई जाती थी जो ब्रिटेन मे अपनाई जाती थी ।
- इस एक्ट के अनुसार डायरेक्टरो की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई ।
- इस एक्ट से स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी शुभारम्भ हुआ ।
- सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारम्भ किया गया । इसमे दो प्रकार की सेवाये थी –
  1. उच्च Covenanted सेवाएँ
  2. निम्न Unconvenanted सेवाएँ
- इस एक्ट मे उच्च सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा एक्ट के प्रावधानों के तहत भारतीय सिविल सेंवा के लिए 1854 मे मैकाले समिति गठित की गई ।
- यद्यपि कम्पनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई लेकिन निश्चित समयावधि नही दी गई ।

1858 ई. का भारत शासन अधिनियम

प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद भारत मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त किया गया तथा सारी सत्ता ब्रिटिश राजमुकुट (क्राऊन) के अन्तर्गत आ गई । इस अधिनियम को Act For The Good Government of India (भारत की अच्छी सरकार बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम) कहते है ।

1. भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जायेगा ।
2. भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ।
   - वह भारत मे ब्रिटिश राजमुकुट का सीधा प्रतिनिधी था ।
   - प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था ।
3. Board of Control तथा Court of Director समाप्त करके द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया ।

4. एक नये पद भारत का राज्य सचिव (Secretory of state for india) का सृजन किया गया ।
   - सम्पूर्ण सत्ता एवं नियंत्रण का दायित्व भारत के राज्य सचिव को दिया गया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था ।
5. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई गई । इसमे कुछ सदस्य राजमुकुट की ओर से मनोनीत थे तथा कुछ का मनोनयन (Nomination) Board of directors की तरफ से थे । 15 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष भारत सचिव था ।
6. यह समिति एक नियमित निकाय थी जिसे भारत एवं इंग्लैण्ड मे मुकदमे मे एक पक्ष बनने का अधिकार था अर्थात् यह किसी पर मुकदमा कर भी सकती थी तथा इस पर मुकदमा किया जा सकता था । इनका ऑफिस ब्रिटेन में ही था ।

कमियाँ :-

1. यह केवल एकात्मक ही नही अपितु पूर्ण एकात्मक शासन था । सम्पूर्ण क्षेत्र का विभाजन प्रान्तों मे किया गया था जिसका मुखिया गवर्नर जनरल था । उसकी अपनी एक्जिक्यूटिव काउंसिल थी किन्तु ये सभी भारत सरकार के अर्जेन्ट प्रतिनिधि मात्र थे तथा सारे कार्य वायसराय एवं गवर्नर जनरल के आदेशानुसार किये जाते थे ।
2. विधायिका कार्यपालिका अथवा नागरिक या सैन्य पर कोई विभाजन नही था ।
3. जनता की राय का किसी स्तर पर कोई महत्व नही था ।

1861 ई. का भारत परिषद् अधिनियम

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को शासन मे भारतीयों का सहयोग आवश्यक लगा अतः उक्त अधिनियम मे निम्न प्रावधान किये गये ।

1. वायसराय की विस्तारित (विधान परिषद्) परिषद् मे गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नामांकन सम्भव हुआ । 1862 मे प्रथम बार लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों - बनारस के राजा, पटियाला के राजा, दिनकर राव को नामांकित किया ।
2. बम्बई और मद्रास प्रान्त को अपनी विधायी शक्तियाँ वापस मिली अर्थात् विकेन्द्रीकरण की दुबारा शुरूआत हुई ।
3. इसके माध्यम से बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ ।
4. इसमे वायसराय को परिषद् मे कार्य संचालन के लिए अधिक नियम व आदेश बनाने की स्वतंत्रता दी 1859 मे लार्ड कैनिंग द्वारा प्रारम्भ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली (मंत्रालय) को मान्यता दी अर्थात वायसराय की परिषद् का कोई सदस्य एक या अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे परिषद् की ओर से अन्तिम आदेश पारित करने का अधिकार था ।
5. इसमे आपात काल मे वायसराय को विधायी परिषद् की सलाह के बिना अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी जिसकी अवधि 8 माह थी ।

कमियाँ :-

1. ये प्रतिनिध्यात्मक नही थी ।
2. मात्र वायसराय के द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा का अधिकार था ।
3. वायसराय की इच्छा से ही बिल प्रस्तुत किया जा सकता था ।
4. विधेयक के पास होने पर भी वायसराय को वीटो का अधिकार था तथा राजमुकुट के विचारार्थ रखने का भी अधिकार था ।
5. अध्यादेश का अत्यन्त व्यापक अधिकार दिया गया था ।

1892 का भारत परिषद् अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदो मे अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यो की संख्या बढाई गई किन्तु बहुमत सरकारी सदस्यों का था ।
- इसमे विधानपरिषदों के कार्यो मे वृद्धि की जैसे बजट पर चर्चा का अधिकार तथा कार्य पालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार ।
- इसके माध्यम से भारतीय विधानपरिषद् के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन प्रान्तीय विधान परिषद् तथा बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के माध्यम से तथा प्रान्तीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यो का मनोनयन विश्वविद्यालय जिला बोर्ड व्यापार संघ नगरपालिका तथा जमींदारो के द्वारा किया जाना था । अन्तिम निर्णय केन्द्र में वायसराय, प्रांत में गवर्नर का होता था ।

यद्यपि उक्त अधिनियम मे चुनाव शब्द का प्रयोग नही हुआ किन्तु केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों मे गैर सरकारी सदस्यों के लिए एक समिति एवं अप्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग किया गया ।

1909 का भारत शासन अधिनियम

- इसे मार्ले-मिन्टो सुधार भी कहते है ।
- उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैण्ड में भारत सचिव था तथा मिन्टो भारत का वायसराय था ।

विशेषता :-

1. इसमे केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या मे काफी वृद्धि की गई (16 से बढकर 60) तथा राज्यों/प्रांतों मे संख्या अलग अलग थी ।
2. केन्द्रीय विधानपरिषदों मे सरकारी बहुमत रखा गया किन्तु प्रान्तो मे गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई ।
3. विधानपरिषदों की चर्चा सम्बन्धी अधिकारो मे दोनो स्तरो पर वृद्धि हुई जैसेः- पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना आदि ।
4. प्रथम बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की कार्यकारी परिषद् के सदस्य बनने की अनुमति मिली ।
5. सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हे वायसराय की कार्यकारी परिषद् मे विधि सदस्य बनाया गया ।
6. मुस्लिमो के लिए साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त दिया गया जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल (separate electorate) की बात की गई ।

कमियां :-

1. साम्प्रदायिक विभाजन क्षेत्र
2. लगभग सभी अन्तिम निर्णय अनुत्तरदायी कार्यकारी (वायसराय गवर्नर) के अधिकार क्षेत्र मे थे ।
3. राष्ट्रवादियों की संसदीय शासन वाली उत्तरदायी सरकार बनाने मे असफल ।

1919 ई. का भारत शासन अधिनियम

- 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत मे एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखण्डनीय अंग की तरह होगा ।
- इसी आधार पर 1919 मे भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते है ।
- मॉन्टेग्यू भारत सचिव था तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था ।

विशेषता :-

1. केन्द्रीय व प्रान्तीय विषयों की अलग अलग सूची बनाई गई जिससे केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ यद्यपि राज्यो का अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था किन्तु सरकार का ढाँचा केन्द्रीय और एकात्मक हो रहा है ।
2. प्रान्तीय विषयों को दो भागो मे बाँटा गया :- आरक्षित और हस्तान्तरित ।
   - हस्तान्तरित विषयो पर गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियो के माध्यम से शासन करेगा ।
   - आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद् के माध्यम से बिना विधायी परिषद् के हस्तक्षेप के करेगा अर्थात् यह एक द्वेध शासन था ।
   - विधायिका मे बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था ।
3. इस अधि. मे पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार भारतीय विधानपरिषद् के दो सदन थे-
   - लेजिस्लेटिव असेम्बली (लोकसभा) व काउन्सिल ऑफ स्टेट (राज्यसभा)
   - दोनो सदनो के बहुसंख्यक सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे । महिलाओ को मताधिकार नही दिया गया ।
4. शिक्षा, कर और सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया
5. वायसराय की कार्यकारी परिषद् के 6 सदस्यो मे से कमांडर इन चीफ को छोडकर तीन सदस्यो का भारतीय होना आवश्यक था । इसमे मुस्लिमो के अतिरिक्त सिक्ख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इण्डियन व यूरोपीय लोगो के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया ।
6. लन्दन मे भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजित किया तथा भारत सचिव के कुछ गैर कार्यो को उच्चायुक्त को स्थानान्तरित किया ।
7. एक लोकसेवा आयोग का प्रावधान किया गया । उच्च नागरिक सेवाओ के लिए गठित ''ली आयोग'' की सिफारिशों के आधार पर 1926 मे सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक ''केन्द्रीय लोक सेवा आयोग'' का गठन किया गया ।
8. केन्द्रीय बजट को राज्यो के बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओ को अपना बजट स्वयं बनाने के अधिकार दिये गये ।
9. इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रस्ताव था जो कि 10 वर्ष के उपरान्त भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेगा ।

कमियाँ :-

1. कोई भी प्रान्तीय दल गवर्नर की स्वीकृति के बाद वायसराय की अनुमति के लिए रोका जा सकता था ।
2. यद्यपि प्रान्तो को अपने विषयों पर कानून बनाने का तथा टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था किन्तु यह संघात्मक शक्ति वितरण नही था क्योंकि यह शक्ति केन्द्र द्वारा प्रत्यायोजन के आधार पर

दी गई थी । केन्द्रीय विधानपरिषद् भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी ।

3. केन्द्र मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना नही थी वायसराय भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के अधीन था ।
4. किसी भी विषय के केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय होने के अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था ।
5. अधिकांश विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना चर्चा नही की जा सकती थी ।
6. वित्त एक आरक्षित विषय था जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य के अधीन था अतः धन की समस्या के कारण कोई प्रस्ताव आगे नही बढ पाता था ।
7. **ICS** के सभी सदस्य जिनके माध्यम से मंत्रियो को अपनी नीतियाँ क्रियान्वित करनी थी । वे भारत सचिव द्वारा भर्ती किये जाते थे तथा मंत्रियो के स्थान पर भारत सचिव के लिए उत्तरदायी थे ।

1920 ई. में मद्रास मे सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

साइमन कमीशन

- नवम्बर 1927 ई. मे 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता मे भारतीय वैधानिक स्थिति को जानने के लिए एक 7 सदस्यीय आयोग गठित किया जिसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहते है ।
- आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे अतः सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया ।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 ई. में ब्रिटिश सरकार को सौंपी जिसमें निम्न सिफारिशें थी–
  1. द्वैध शासन का अन्त ।
  2. प्रान्तो मे अधिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना ।
  3. ब्रिटिश भारत तथा देशी रियायतो के संघ की स्थापना ।
  4. साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिऐं ।
- साइमन कमीशन के प्रस्तावो पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन गोलमेज (Round table) सम्मेलन किये गये (1930, 1931, 1932) ।
- इनमे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत व भारतीय रियायतो के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जिसमे कोई सहमति नही बन पाई ।
- उक्त चर्चाओ के आधार पर संवैधानिक सुधारो पर एक श्वेत पत्र बनाया गया जिसे ब्रिटिश संसद में भेजा गया ।
- कुछ संशोधनों के साथ इस समिति की सिफारिशो को भारत शासन अधि. 1935 मे शामिल किया गया । साइमन कमीशन के 7 सदस्यीय आयोग मे ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सदस्य थे ।

साम्प्रदायिक अवार्ड :– अगस्त 1932 ई. मे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यको के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसे साम्प्रदायिक अवार्ड कहा जाता है । इसके अन्तर्गत मुस्लिमों, सिक्खो, भारतीय ईसाईयो, एंग्लो इण्डियन व यूरोपीयन के लिए पृथक निर्वाचन जारी रखा गया तथा दलितो के लिऐ भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई ।

भारत शासन अधिनियम 1935

- इसमे एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिसमें प्रान्तों और रियायतो को सम्मिलित किया तथा तीन सूचियाँ बनाई गई ।
  (a). केन्द्रीय सूची 59 विषय
  (b). प्रांतीय सूची 54 विषय
  (c). समवर्ती सूची 36 विषय
  (d). अवशिष्ट शक्तिया वायसराय को दी गई ।
  वर्तमान में संघ सूची मे 100 विषय राज्यसूची मे 61 विषय तथा समवर्ती मे 52 विषय है ।
  यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व मे नही आई क्योंकि देशी रियायतो ने इनमे शामिल होने से मना कर दिया
- प्रान्तो मे द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रान्तीय स्वायत्तता प्रारम्भ हुई । राज्य सूची के विषयो मे स्वतंत्रता दी गई तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई क्योंकि गवर्नर को मंत्रियो की सलाह के अनुसार कार्य करना था जो कि प्रांतीय विधायिका के लिए जवाबदेह थे ।
- संघीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारम्भ हुआ ।

- संघीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तान्तरित मे विभक्त किया गया ।
- भारतीय विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदो जिनकी अधिकतम संख्या 3 निर्धारित थी, के माध्यम से गवर्नर जनरल को शासन अधिकतम 10 मंत्रियो के द्वारा किया जाना था जो कि विधानपरिषद् के लिए उत्तरदायी थें ।

- इसमें 11 मे से 6 प्रान्तो मे द्विसदनात्मक प्रणाली प्रारम्भ की
  - बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार, संयुक्त प्रान्त
  - उच्च सदन को विधानपरिषद् (लेजिस्लेटिव काउंसिल) कहा व निम्न सदन को विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहा ।
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढाया गया । दलितों, महिलाओं एवं मजदूरो को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिये गये ।
- 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत सचिव की भारत परिषद् को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सलाहकारो का एक दल उपलब्ध करवाया गया ।
- मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया ।
- संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया साथ ही संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा प्रान्तीय लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया ।
- भारत की मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए RBI 1 अप्रैल 1935 ई. को गठन का प्रावधान किया गया ।
- संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो 1937 मे गठित हुआ ।
  - इसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय विवादो तथा संविधान (1935 अधिनियम) की व्याख्या हेतु की गई जिसकी अपील लंन्दन मे प्रिवी काउंसिल मे की जा सकती है
  - महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

कमियाँ व विशेषताएँ :-

1. पूर्व के सभी अधिनियमो मे भारत सरकार एकात्मक थी । इसके माध्यम से एक संघ का प्रस्ताव किया गया था जिसमे सम्मिलित होने का रियासतो को स्वेच्छा से अधिकार दिया गया था ।
2. केन्द्रीय स्तर पर संघ नही बन पाया किन्तु प्रान्तीय स्वायत्तता के तहत 1937 से शासन प्रारम्भ हुआ ।
   - गवर्नर द्वारा प्रांतीय कार्यकारी दायित्वों का निर्वहन मुकुट के प्रतिनिधि के रूप मे करना प्रारम्भ न करके गवर्नर जनरल के अधीनस्थ के रूप मे ।
   - गवर्नर द्वारा मंत्रियो की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य था जो कि विधायिका के लिए उत्तरदायी थे किन्तु गवर्नर को विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनके लिए उसे मंत्रियो की सलाह के स्थान पर वायसराय के माध्यम से भारत सचिव की ओर से कार्य करना था ।
3. गवर्नर जनरल द्वारा सुरक्षा विदेश संबंध आदिवासी क्षेत्रो का प्रशासन तथा चर्चा संबंधी विषयों को अपने द्वारा नियुक्त सलाहकारो के माध्यम से देखा जाना था जबकि अन्य विषयों के लिए मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करना था जो कि विधायिका के लिए उत्तरदायी थी ।
   - इन कार्यो के सन्दर्भ मे भी यदि गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायित्वो का निर्वहन करना है तो मंत्रिपरिषद् की सलाह के विरूद्ध भारत सचिव के नियंत्रण एवं निर्देशन से कार्य कर सकता था ।
4. गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति के अतिरिक्त राजमुकुट भी केन्द्रीय विधायिका को वीटो कर सकता है ।
5. गवर्नर जनरल अपने विशेष उत्तरदायित्वों का हवाला देकर विधायिका मे किसी भी चर्चा अथवा बिल को रोक सकता था ।

6. अध्यादेश की शक्ति के साथ गवर्नर जनरल को सदन के चलते रहने की स्थिति मे भी कानून बनाने का अधिकार था ।
7. गवर्नर जनरल की विवेकाधीन शक्तियो मे कमी करने वाला कोई भी प्रस्ताव उसकी पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता था ।
8. प्रान्तो द्वारा पारित किये गये अधिकांश प्रस्तावो को गवर्नर जनरल अथवा राजमुकुट की स्वीकृति के लिए रोका जा सकता था ।
9. यद्यपि देशी रियासते उक्त प्रस्ताव मे शामिल नही हुई तथापि केन्द्र सरकार और प्रान्तो के मध्य संघात्मक प्रावधान क्रियान्वित हुए जो कि प्रत्यायोजन नही थे ।
10. अवशिष्ट शक्तियाँ न तो केन्द्रीय विधायिका मे निहित थी और न ही प्रांतीय विधायिका मे गवर्नर जनरल दोनो मे से किसी को भी प्राधिकृत कर सकता था । बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान था ।

संविधान सभा की माँग, 1940 :-

वर्ष 1940 में पण्डित नेहरू ने इस माँग को मूर्त रूप प्रदान किया, उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप कांग्रेस ने घोषणा की, कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है, तो भारत के सभी विचारों के लोगों के प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी, जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करेगी । यद्यपि वर्ष 1940 में मुस्लिम लोग ने भी पृथक् पाकिस्तान की माँग प्रस्तुत कर दी, किन्तु फिर वह संविधान सभा की माँग के प्रति सहमत हो गई । वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने भी संविधान सभा की माँग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, यद्यपि स्वीकृत अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तो के साथ थी ।

क्रिप्स मिशन, 1942 :-

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मार्च, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तावों की घोषणा के प्रारूप के साथ कैबिनेट मन्त्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा ।

इस प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु थे

- भारतीय संविधान को निर्माण भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा करेंगी ।
- संविधान भारत को डोमिनियन स्टेट्स और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबरी की भागीदारी देगा ।
- सभी देशी रियासतों और प्रान्तों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा ।

कैबिनेट मिशन, 1946 :-

फरवरी, 1946 में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री क्लमेण्ड एटली ने भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु ऐ तीन सदस्यीय शिष्टमण्डल भेजने की घोषणा की । इसमें ब्रिटिश शिष्टमण्डल भेजने की घोषण की । इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्य - लॉर्ड पैथिक लॉरेंस (भारतीय सचिव), सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) तथा ए वी अलेक्जेण्डर (एडमिरैलिटी के प्रथम लॉर्ड/नौसेना मन्त्री) थे । इस मिशन को विशेष अधिकार दिए गए और इसका कार्य भारतीयों को शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हेतु उपायों एवं सम्भावनाओं की पहचान करना था । कैबिनेट मिशन मार्च, 1946 से मई, 1946 तक भारत में रहा ।

भारत शासन अधिनियम 1947

- 3 जुलाई 1947 को भारत के वायसराय माउण्ट बेटन ने विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे "माउण्ट बेटन योजना" कहते है ।
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनो के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया ।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू किया गया इसकी निम्न विशेषताऐं थी :-

1. भारत मे ब्रिटिश राज समाप्त हुआ तथा भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित किया गया ।
2. इसमे भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाये जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग होने की स्वतंत्रता थी ।
3. इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया जिसकी नियुक्ति डोमिनियन कैबिनेट की सिफारिश पर राजमुकुट को करनी थी । ब्रिटेन की सरकार पर भारत या पाकिस्तान की सरकार का कोई उत्तरदायित्व नही था ।
4. इसके माध्यम से दोनो देशो की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छानुसार संविधान बनाने एवं लागू करने का अधिकार मिला साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार मिला ।
5. इसने दोनो देशो की संविधान सभा को प्राधिकृत किया कि जब तक नया संविधान लागू नही हो जाता तब तक अपने अपने क्षेत्र के लिए ये कानून बनाने का कार्य कर सकेंगी ।
6. 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून दोनो देशों पर तब तक प्रभावी नही होगा जब तक कि संविधान सभा इसकी सहमति न दे ।
7. ब्रिटेन मे भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमण्डल सचिव को स्थानान्तरित हो गई ।
8. 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतो पर ब्रिटिश सम्प्रभुता समाप्त हो गई तथा रियायतो को भारत अथवा पाकिस्तान मे मिलने अथवा स्वतंत्र रहने की आजादी दी गई ।
9. ब्रिटिश काल में वीटो का अधिकार तथा स्वयं की अनुमति के लिए ब्रिटिश विधेयक को रोकने का अधिकार समाप्त हो गया किन्तु कुछ परिस्थितियो मे गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया ।
10. भारत के गवर्नर जनरल व राज्यो के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख के रूप मे स्थापित किया जिनकी शक्तियाँ यथार्थ न होकर नाममात्र की थी इन्हे मंत्री परिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करना था
11. 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ तथा सत्ता दोनो डोमिनियन देशो को मिली
    - स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउण्ट बेटन तथा प्रथम स्वतंत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई
    - भारत की संविधान सभा भारत की संसद की तरह कार्य करने लगी ।
    - पाक का गवर्नर जनरल मौहम्मद अली जिन्ना था ।
    - सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचित होना - गणतंत्र
    - सर्वोच्च शक्ति का वंशानुगत होना - राजतंत्र
    - नीचे की शक्ति का जनता द्वारा चुना जाना - लोकतंत्र

अंतरिम सरकार 1946

क्र.सं.	सदस्य	धारित विभाग
1.	जवाहरलाल नेहरू	राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले
2.	सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण
3.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	जॉन मथाई	उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
5.	जगजीवन राम	श्रम
6.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
7.	सी.एच.भाभा	कार्य, खान एवं ऊर्जा
8.	लियाकत अली खां	वित्त
9.	अब्दुर-रब-निश्तार	डाक एवं वायु
10.	आसफ अली	रेलवे एवं परिवहन
11.	सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा एवं कला
12.	आई. आई. चुंदरीगर	वाणिज्य
13.	गजनफर अली खान	स्वास्थ्य
14.	जोगेंद्र नाथ मंडल	विधि

नोटः अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य थे। वायसराय परिषद् का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद् का उपाध्यक्ष बनाया गया।

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)

क्र.सं.	सदस्य	धारित विभाग
1.	जवाहरलाल नेहरू	प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध
2.	सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
3.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
5.	डॉ. जॉन मथाई	रेलवे एवं परिवहन
6.	आर. के. षणमुखम शेट्टी	वित्त
7.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर	विधि
8.	जगजीवन राम	श्रम
9.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
10.	राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
11.	सी.एच. भाभा	वाणिज्य
12.	रफी अहमद किदवई	संचार
13.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
14.	वी. एन. गाडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा

संविधान सभा

- सर्वप्रथम 1895 ई. मे बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की माँग की ।
- वर्ष 1921 मे गाँधीजी ने संविधान सभा की माँगे की ।
- वर्ष 1934 मे मानवेन्द्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की माँग की (**M.N.** रॉय) ।
- वर्ष 1935 मे कांग्रेस ने पहली बार अधिकारिक तौर पर संविधान सभा की माँग की
- वर्ष 1938 मे कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जवाहर लाल नेहरू ने सार्वजनिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की माँग की ।
- वर्ष 1940 मे अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा यद्यपि संविधान सभा शब्द का उल्लेख नही किया गया ।
- वर्ष 1942 मे क्रिप्स मिशन निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव, जो प्रान्तीय विधान मण्डल के निम्न सदन के सदस्यो के द्वारा होता है ।
- वर्ष 1946 मे कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया । इसका निर्वाचन प्रान्तीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यो के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है ।

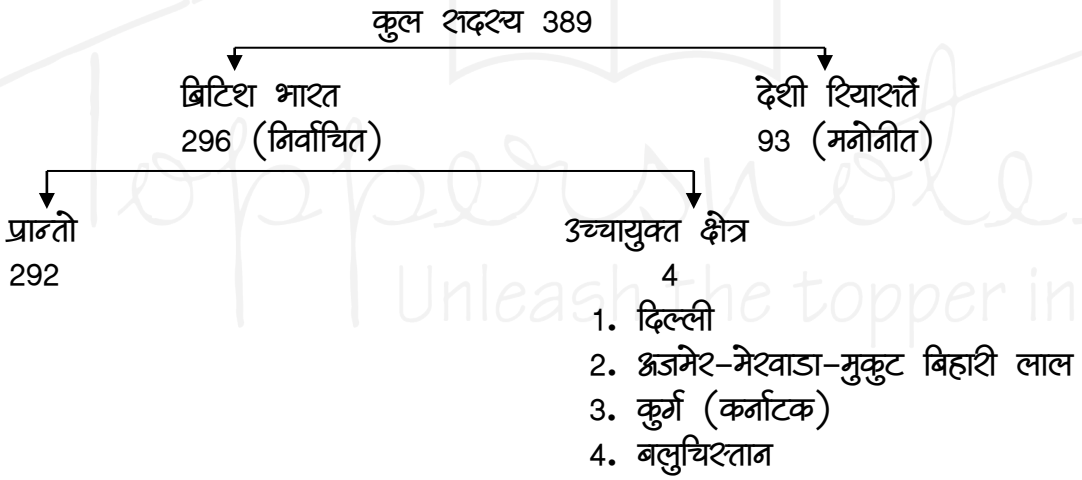

- जुलाई-अगस्त 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था ।
- इसमे कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे ।
- मुस्लिम के लिए 78 सीट आरक्षित की गयी थी उसमे से 73 सीट पर मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुए थे ।
- संविधान सभा के चुनावो के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया ।
- महात्मा गाँधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नही लडा था ।
- इसमे कुल 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी ।
- जय प्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रु ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था ।
- 9 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया ।
- 11 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी जिसमे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

- H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था ।
- टी.टी. कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था ।
- B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया
- संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था जबकि अन्तिम प्रारूप समिति ने तैयार किया था ।
- 13 दिसम्बर 1946 पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ।
- 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया ।

उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ :-

1. सम्प्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना ।
2. लोकतांन्त्रिक गणराज्य की स्थापना करना ।
3. नागरिको को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करना ।
4. नागरिको को मूल अधिकार प्रदान करना ।
5. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना ।
6. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना ।

- उद्देश्य प्रस्ताव एक तरह से संविधान सभा के लिए दिशा निर्देशिका था जिसमें संविधान के आदर्शो को शामिल किया गया ।

महत्वपूर्ण समितियाँ :-

1. संघीय संविधान समिति
2. संघीय शक्ति समिति } अध्यक्ष - जवाहरलाल नेहरू
3. प्रान्तीय शक्ति समिति
4. प्रान्तीय संविधान समिति :- अध्यक्ष - सरदार वल्लभ भाई पटेल
5. मूल अधिकार, अल्प संख्यक, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र के लिए समिति :- सरदार वल्लभ भाई पटेल
   - मूल अधिकार उप समिति- जे. बी. कृपलानी
   - अल्पसंख्यक के लिए उप समिति- H.C. मुखर्जी
   - अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति- गोपीनाथ बारदोलोई
   - बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र के लिए उप समिति - A.V. ठक्कर

प्रारूप समिति :-

संविधान सभा की सभी समितयो मे यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी । इसका गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ था इसमे सात सदस्य थे, जो निम्न है -

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. गोपाल स्वामी आयंगर
3. कृष्णा स्वामी अय्यर
4. K.M. मुंशी
5. मोहम्मद सादुल्लाह
6. N. माधव राव (B.L. मित्र के त्याग पत्र के बाद)
7. T.T. कृष्णामाचारी (D.P. खेतान की मृत्यु)

- इसके बाद प्रारूप समिति ने 60 देशो के संविधान का अध्ययन किया और उससे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया ।
- प्रथम पठन 4 नवम्बर 1948 से 9 नवम्बर 1948 तक किया ।
- द्वितीय पठन 15 नवम्बर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया ।
- तृतीय पठन 14 नवम्बर 1949 से 26 नवम्बर 1949 तक किया ।
- इसे 26 नवम्बर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया । इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये ।

15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका :-

- सम्प्रभु संस्था के रूप मे स्थापित हुई कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गयी ।
- 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया । इसने संविधान सभा के साथ-साथ विधानमण्डल के रूप मे कार्य किया ।
- आजादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गये थे ।

299 सदस्य
- 229 ब्रिटिश प्रान्त
- 70 रियासतों

- 15 अनुच्छेद 26 नवम्बर 1949 को लागू किये गये
  - अनु. 5,6,7,8,9 (नागरिकता से सम्बन्ध)
  - अनु. 60 (राष्ट्रपति की शपथ)
  - अनु. 324 (निर्वाचन आयोग)
  - अनु. 366, 367 (निर्वाचन संबंधी शब्दावली)
  - अनु. 379, 380, 388, 391, 392, 393

आरम्भ		वर्तमान
○ मूल संविधान मे भाग 2 थे	-	25
○ अनुच्छेद 395	-	460
○ अनूसूचियाँ 8	-	12

संविधान सभा के द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय :-

- 22 जुलाई 1947- राष्ट्रध्वज को मान्यता दी ।
- मई 1949 को "राष्ट्रमण्डल की सदस्यता" को मान्यता दी गयी ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गयी ।
- 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया
- 24 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान सभा की अन्तिम बैठक थी और इसके बाद इन्होंने इसको भंग कर दिया गया । इसके बाद संविधान सभा विधानमण्डल के रूप मे यह कार्य करती रही (1952 तक)

संविधान सभा की आलोचना :-

- संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नही थी । इसमे रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किये गये थे ।
- संविधान सभा के सदस्य प्रान्तीय विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित किये गये थे । प्रान्तीय विधानमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन भी सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर नही हुआ था । इस समय केवल 10 प्रतिशत लोगो को मताधिकार था अतः 90 प्रतिशत जनसंख्या का संविधान सभा के निर्वाचन मे अप्रत्यक्ष योगदान भी नही था ।
- उपर्युक्त आलोचना उचित नही है क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों मे संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्भव नही था क्योंकि
  1. चुनाव के लिए पर्याप्त ढाँचा नही था ।
  2. संसाधनों की कमी थी ।
  3. राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण था ।
  4. साम्प्रदायिक हिंसा हो रही थी ।
  5. लोगो मे राजनैतिक जागरूकता व शिक्षा का अभाव था ।
  6. समय का अभाव था ।
- उपर्युक्त कारणो से संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था जहाँ तक रियासतो के सदस्यों के मनोनयन का प्रश्न है उस समय बडी चुनौती यह थी कि रियासतो का भारत मे विलय कैसे किया जाए एवं रियासतो मे चुनावी ढाँचा उपलब्ध नही था ।
- संविधान सभा सम्प्रभु नही थी । संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था । ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत इसका निर्वाचन हुआ था इसलिए इसे सम्प्रभु संस्था नही माना जाता लेकिन 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा एक सम्प्रभु संस्था के रूप मे स्थापित हुई एवं कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूर्णतः मुक्त थी और संविधान सभा ने इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया था कि वह अपने सभी निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक लेगी ।
- संविधान निर्माण मे संविधान सभा ने अधिक समय लिया । इसमे (2 वर्ष 11 माह 18 दिन) का समय लिया जबकि अमेरिका संविधान निर्माताओ ने 4 माह मे संविधान पूरा कर दिया था ।
- यह आलोचना भी उचित नही है क्योंकि भारत व अमेरिका की स्थितियाँ भिन्न थी । भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषी व जटिल सामाजिक ढाँचे वाला देश है । इसमे अनेक वंचित वर्ग तथा जनजातीय लोग है जबकि इनमे राजनैतिक जागरूकता शिक्षा का अभाव था अतः ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसमे सभी के हितो की रक्षा कर सके इसके लिए अनेक विशेष प्रावधान किये गये है जबकि अमेरिका मे इतनी चुनौतियाँ नही थी ।
- अमेरिका संविधान मे रेड इण्डियन व निग्रोज के लिए अलग विशेष प्रावधान नही किये गये ।
- भारतीय संविधान विश्व स्तर का सबसे बडा संविधान है क्योंकि इसमे प्रत्येक बात को विस्तार से समझाया गया है जबकि अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है, उसमे केवल 7 अनुच्छेद है जबकि भारतीय संविधान मे 395 अनुच्छेद थे ।
- भारतीय संविधान संघ के संविधान के साथ-साथ राज्यों का संविधान भी शामिल है जबकि अमेरिकी संविधान मे केवल संघ का संविधान ही है और सभी राज्यों के अलग संविधान है जो कालान्तर मे बनाये गये थे ।
- संविधान सभा मे कांग्रेस का प्रभुत्व था इसलिए संविधान मे कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया है ।
  कांग्रेस ने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया था एवं वह सबसे बडा राजनैतिक दल था । इसका जनाधार अधिक था इसलिए प्रान्तीय विधानमण्डलो के चुनावों मे कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी एवं